गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 180वीं बैठक दिनांक 20.05.2024 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 180वीं बैठक दिनांक 20.05.2024 को सायं 04:30 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
4.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
5.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
6.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
7.	प्रो0 एच.एस.तिवारी	सदस्य
8.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
9.	प्रो0 पी.पी. मूर्ति	सदस्य
10.	डॉ0 बबिता माझी	सदस्य
11.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
12.	श्री एच.एन. चौबे, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव
2. प्रो0 राजेन्द्र मेहता
3. प्रो0 सी.एस. वझलवार
4. प्रो0 संतोष कुमार प्रजापति
5. डॉ0 एस. श्वेता
6. प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (विकास)

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारंभ में विश्वविद्यालय को A^{++} ग्रेड प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों द्वारा किये गये प्रयासों एवं मेहनत की तारीफ की। कुलपति महोदय ने टीम की महत्ता को भी उल्लेखित किया तथा यह बताया कि किसी भी सफलता के लिए टीम बनाकर काम करने से ही वांछित सफलता प्राप्त होती है। कुलपति महोदय ने सतत रूप से नवाचार करने के लिए भी प्रेरित किया। प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 179वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 179वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 179वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 179वीं बैठक दिनांक 27.04.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

Mcell- I\SC\..\SC 20-05-2024

20-05-2024

20/05/2024

विषय क्र. 03. **गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर और (1) National Chung Cheng University, Taiwan; (2) Honam University, Korea and (3) Soar Robotics, USA के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरू घासीदास विश्वविद्यालय एवं (1) National Chung Cheng University, Taiwan; (2) Honam University, Korea and (3) Soar Robotics, USA के मध्य समझौता एमओयू किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं समझौता किये जाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के द्वारा विदेश की संस्थाओं से किये जा रहे एमओयू की जानकारी विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाय।

विषय क्र. 04. **अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 22.03.2024 में वाणिज्य विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम बी.कॉम 04 वर्षीय अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 22.03.2024 में वाणिज्य विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम बी.कॉम 04 वर्षीय अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 05. **अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 24.03.2024 में अर्थशास्त्र विभाग की अनुशंसित Pre-Ph.D. Course Work पाठ्यक्रम/अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 24.03.2024 में अर्थशास्त्र विभाग द्वारा अनुशंसित Pre-Ph.D. Course Work पाठ्यक्रम/अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 06. **फार्मेसी विभाग में डिप्लोमा द्वितीय वर्ष (old course) हेतु स्पेशल कक्षा ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय लगाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि फार्मेसी विभाग में डिप्लोमा द्वितीय वर्ष (old course) हेतु स्पेशल कक्षा ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय में ऑनलाईन सम्पादित कर पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाय तथा निर्धारित अवधि एवं पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर यथाशीघ्र परीक्षाएं भी सम्पादित की जाय।

विषय क्र. 07. **अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 26.09.2023 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग B.Sc. 04 Year तथा M.Sc. (first and second Semester) की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 26.09.2023 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग B.Sc. 04 Year तथा M.Sc. (first and second Semester) की पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

20-05-2024

20/05/2024

विषय क्र. 08. **श्रीमती रश्मि गुप्ता, शोधार्थी अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने एवं विलम्ब के लिए जवाबदेही निर्धारित करने समिति का गठन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

स्थायी समिति ने यह और भी निर्णय लिया कि उपरोक्तानुसार समिति की अनुशंसायें प्राप्त हो जाने तक प्रस्तुत प्रकरण पर निर्णय लंबित रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 स्थायी समिति की बैठक के दौरान चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि डायरेक्टर आई.क्यू. ए.सी. को भी स्थायी समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.02 विश्वविद्यालय में ओ.डी.एल./ऑनलाईन मोड में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु अध्यादेश प्रारूप स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रारूपण समिति द्वारा वर्तमान में विश्वविद्यालय के प्राविधिक निकायों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को ओ.डी.एल./ऑनलाईन मोड में प्रारम्भ किये जाने तथा उनके संचालन हेतु अध्यादेश का प्रारूप आंशिक संशोधन के साथ मान्य किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों हेतु पृथक–पृथक अध्यादेशों को प्रारूपित किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.03 ओ.डी.एल तथा ऑनलाईन मोड में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रारूपण समिति की बैठक दिनांक 02.05.2024 को आहूत की गई। समिति द्वारा पांच विषयों पर अपनी अनुशंसायें दी गई।

प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रारूपण समिति के कार्यवृत्त दिनांक 02.05.2024 में प्राप्त सभी अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.04 स्थायी समिति के समक्ष यूजीसी द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.05.2024 प्रस्तुत किया गया, जिसमें अर्ह संस्थाओं से ओ.डी.एल. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र जमा करने के निर्देश प्राप्त है।

प्राप्त पत्र के अवलोकन एवं चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त प्रस्तावानुसार निर्धारित प्रारूप, शपथ पत्र एवं अन्य संलग्नकों को शामिल करते हुए पंजीयन/आवेदन की प्रक्रिया सम्पन्न की जाय।

अ.अ.वि.क्र.05 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय शोध विनियम 2023 में आंशिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 27.03.2024 में उल्लेखित प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय शोध विनियम 2023 में आंशिक संशोधन सुझाये गये।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विषय को स्थगित रखा जाय।

20-05-2024

20/05/2024

अ.अ.वि.क्र.06 स्थायी समिति के समक्ष फिटनेस तथा वैलनेस केन्द्र के लिए निर्धारित शुल्क संरचना में संशोधन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं शुल्क में संशोधन किया जाय।

अ.अ.वि.क्र.07 विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष यूजीसी से प्राप्त फंड की जानकारी एवं मदवार बजट निर्धारण संबंधी विषय प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विषय पर कुलपति महोदय द्वारा आबंटित बजट का अनुमोदन किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

20-05-2024 20/05/2024

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव

कुलपति / अध्यक्ष